RAA,Jodhpur

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/3/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। उभय पक्ष के उपस्थित अधिवक्तागण की मामले में बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी सं० 2 को भेजे A.D रजिस्टर्ड सम्मन पर रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि बार-2 जाने पर प्राप्तकर्ता घर पर नहीं मिलता, वापिस भेजा। यही रिपोर्ट विरेन्द्र कुमार की रजि० A.D पर है परन्तु उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित। ऐसी ही रिपोर्ट कृष्ण गोपाल के संबंध में है परन्तु उनके अधिवक्ता उपस्थित। एक ही परिवार के सदस्य होने के नाते हरीराम को भी सूचना नहीं हुई हो मानने का कारण नहीं है, लिहाजा उनकी तामील भी पर्याप्त मानना उचित है।	CBSE [signature]
	अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए अपील मीमो में वर्णित कथनों को दुहराया और बताया कि प्रत्यर्थी सं० 1 द्वारा एक वाद बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का अधि० न्यायालय में पेश किया कि ग्राम सिमरथनगर की वादग्रस्त आराजी कुल खसरा 5 रकबा कुल 140-10 बीघा तथा ख० नं० 1961 रकबा 48-18 बीघा सहखातेदारी की आई हुई है जिनमें से प्रथम 5 खसरों में प्रत्यर्थी सं० 1 का 1/4 हिस्सा तथा ख० नं० 1961 में प्रत्यर्थी सं० 1 का 1/8 हिस्सा है, मौके पर इंतजामिया विभाजन हो रखा है। विभाजन नहीं कराने पर यह वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद में बाद दर्ज नोटिस भेजे, अपीलार्थी/प्रति० की ओर से जवाब दिया कि मौके पर अलग-2 विभाजन हो रखा है, अलग-अलग कब्जे हैं; तरमीम की हुई है परन्तु प्रत्यर्थी सं० 1 द्वारा गलत रूप से नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है जो मानने योग्य नहीं है, वाद खारिज फरमाया जावे। अधि० न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं० 2 से 4 की तामील लंबित रहते बिना तनकीयात कायम किये बिना साक्ष्य दिनांक 24.9.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है।	
	अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय। डिक्री पारित होने में भारी विधिक व तथ्यात्मक भूल हुई है। आदेश में बिना कोई कारण दिये आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो अकारण होने से प्रथमतः निरस्त योग्य है। प्रत्यर्थी सं० 02 से 04 को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधि० न्यायालय ने अपीलार्थी के अधिवक्ता की बिना सहमति के ही P.D जारी किये जाने का आदेश पारित किया है जबकि कोई सहमति नहीं दी गई। सभी सहखातेदारों की सहमति के बिना P.D जारी नहीं की जा सकती है। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय/डिक्री दि० 24.9.19	

P.T.O

[signature]
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

....बनाम.......................................

किस्म मुकदमा RTA /LR न. सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/3/2020	उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आलोक में अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय / डिक्री दिनांक 24-09-2019 अपास्त किये जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रस्तुत वाद के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष के अभिकथनों को साबित करने हेतु तनकीयात कायम कर साक्ष्य/सबूत का उभय पक्ष को अवसर देते हुए वाद विवेचन अविलम्ब प्रासंगिक डिक्री / निर्णय पारित किया जावे। उभय पक्ष दिनांक 29/3/2020 को अधीनस्थ न्यायालय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहकर अपना-2 पक्ष रखा जाना सुनिश्चित करें। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली खोल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित आज ही लौटावें। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को अपास्त व निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें। अन्य उचित आदेश न्यायहित में दिया जाना आवश्यक हो तो अपीलार्थी के पक्ष में सादिर फरमाया जावे। बहस करते हुए अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बताया कि यह अपील प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध ~~…~~ पेश की गई है जो विधि सम्मत एवं राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर जारी की गई है, विधि की मंशा में सही एवं उचित है। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण स्व. [illegible] के पुत्र/पौत्र/पुत्रवधु हैं और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इनका वाद में वर्णित हिस्सा स्पष्ट रूपेण निहित है। अपीलाधीन डिक्री/निर्णय में घोषित हिस्सों के बाबत कोई विवाद नहीं है जैसा कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा से स्पष्ट है। इन जवाबदावे में किंतु वाद प्रकार तथ्यों में कहीं भी वादग्रस्त आराजी के हिस्सों बाबत कोई विसंगति नहीं दर्शाई है। केवल मौके पर कब्जे काश्त को लेकर उक्त पक्ष आहत है और प्रत्येक पक्ष द्वारा पृथक-2 नजरी नक्शे पेश कर वादग्रस्त भूमि के पृथक-2 हिस्से पर दावा जताया है। यह विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करते वक्त मौके पर कोई मीटस एण्ड बाउण्ड्स जोते विभाजन करने से ही स्पष्ट होगा लिहाजा प्राथमिक डिक्री/निर्णय विधि सम्मत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से काबिले खारिज है सो निरस्त फरमाई जावे। बहस पर मनन किया। प्रतिवादी सं. 2 व 3 की तरफ से भी जवाबदावा प्रस्तुत हुआ जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रिकॉर्ड पर है। लिहाजा तामील नहीं होने संबंधी उज्रात मान्य नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में हिस्से दर्ज तो नहीं है लेकिन स्पष्ट स्वरूप है और अपीलार्थी द्वारा भी इस बाबत कोई एतराज नहीं किया गया है। रिकॉर्ड पर जवाबुल-जवाब प्रति. सं. 1 (अपीलार्थी) के द्वारा प्रस्तुत है वह भी मौके पर कब्जे-काश्त के संबंध में है जिसका विनिश्चय प्राथमिक डिक्री में नहीं हो सकता। रिकॉर्ड पर वादी का वाद साक्ष्य और अभिलेख प्रदर्श के अभाव में साबित नहीं होना पाया जाता है। विधि की दृष्टि एवं प्रक्रिया को विचारण न्यायालय ने नहीं अपनाया है जिसके कारण पारित प्राथमिक डिक्री का कोई आधार नहीं दिखता। वाद में घोषणा का दावा अंतर्गत धारा 88 RT Act नहीं किया है फिर भी आलोच्य निर्णय/डिक्री में हिस्से घोषित किये गए हैं। विचारण न्यायालय अभिलेख प्रदर्श और साक्ष्य के आधार पर ही विनिश्चय कर सकने में समर्थ हो पाता है लिहाजा मामले में उक्त पक्ष की साक्ष्य अपेक्षित है।	

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

P.T.O